



. **असाधारगा** EXTRAORDINARY

PART II—হাত 3—3.1-ছাত্ত (¹)





#. 60] No. 60] नई बिस्ती, बृहस्पतिबार, फरवरी 4, 1988/माघ 15, 1909 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 1988/MAGHA 15, 1909

इस भाग में भिल्न पृष्ठ संख्या को जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रक्ता जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त महालय
(राजस्व विभाग)
(विदेशी कर प्रभाग)
नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1988

अधिसूचना - ---

सा का. नि. 77 (अ) — आय पर कर की बाबत दोहरे कराधान से बचने और राज वित्तीय अपवचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और इन्डोनेणिया गणराज्य की सरकार के बीच इससे मंलग्न करार, 19 दिसम्बर, 1987 को, दोनो सिबदाकारी राज्यो द्वारा उनकी विधियो के अधीन अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा हो जाने के बारे में, उक्त करार के अनुक्छेद 28 द्वारा विनिर्विष्ट रूप में

एक इसरे को अधिमुचिन किए जाने पर, प्रवृत्त हुआ है

अत, अब, केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबधों को भारत सम में कार्यीन्यित किया जाए।

उपावन

आय पर करों के सबध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपबचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और इण्डोनेशिया गणराज्य के बीच करार आय पर करों के सबध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपबचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और इण्डोनेशिया गणराज्य के बीच करार भारत गणराज्य की सरकार और इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्य अपबंचन को रोकने के लिए करार निष्पादित करने हेतू निम्नानुसार सहमति व्यक्त की है:

अनुच्छेद 1

व्यक्तिगत विषय-क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

करार के अन्तर्गत आने वाले कर

- जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं:
- (क) भारत में :
 - (i) आयकर जिसमें उस पर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत लगाया गया कोई भी अधिभार शामिल है;
 - (ii) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अन्तर्गत लगाया गया अतिकर;

(एतद्परचात् "भारतीय कर" के रूप में उल्लिखित) ।

(ख) इण्डोनेशिया में :

अनडांग-अनडांग पाजाक पेंगासिलन 1984 (1983 का कानून संख्या 7) के ध्रन्तर्गत लगाया गया आयकर तथा उस हद तक जहां तक ऐसे आयकर कानून में व्यवस्था की गयी है अडोंनिन्सी पाजाक पर्सेरोअन 1925 (1925 का सरकारी राजपल संख्या 319 जिसे 1970 के कानून संख्या 8 द्वारा अन्तिम बार संशोधित किया गया था) के अध्यधीन लगाया गया कम्पनी करं तथा ध्रनडांग-अनडांग पाजाक अटास बूंगा, डिबीडेन डान रायल्टी 1970 (1970 का कानून संख्या 10) के अध्यधीन लगाया गया कर;

(एतद्पश्चात् ''इण्डोनेशिया कर'' के रूप में उल्लिखित)

2. यह करार, किसी भी समरूप अथवा सारतः उससे मिलते-जुलते करों पर भी लागू होगा जो वर्तमान करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख के बाद, पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर, दोनों संविद्याकारी राज्यों में से किसी भी राज्य द्वारा लगाए जायेंगे । संविद्याकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कान्नों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना एक-दूसरे को देंगे ।

अनुच्छेद ३

सामान्य परिभाषाएं

्राह्स करार में, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत हैं—-भारत का क्षेत्र और उसमें प्रावेशिक समुद्र और उसके ऊपर का आकाशीय क्षेत्र और साथ-ही-साथ अन्य कोई भी समुद्री क्षेत्र शामिल है जिस पर भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार विशेषकर सागर विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982 के अनुसार भारत की प्रमुसत्ता, प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं।
- (ख) "इण्डोनेशिया" शब्द से अभिप्रेत हैं—इण्डोनेशिया गणराज्य के कानूनों में यथापरिभाषित उसका क्षेत्र तथा निकटवर्ती ऐसे क्षेत्र जिन पर अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, विशेषकर सागर विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982 के उपबंधों के अनुसार इण्डोनेशिया गणराज्य की प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार अथवा अन्य अधिकार है।
- (ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" शब्दों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा इण्डोनेशिया अभिन्नेत है ;
- (घ) "कर" शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षानुसार भारतीय कर अथवा इण्डोनेशियाई कर अधिप्रेत हैं, परन्तु इसमें ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी चूक अथवा भूल के सन्दर्भ में देय हो जिन पर यह करार लागू होता हो अथवा जो उन करों के संबंध में लगया गया कोई अर्थ-दण्ड हो;
- (ड.) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यप्टि, कोई कम्पनी, तथा कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान काननों के अन्तर्गत एक कराधेय एकक माना जाता हो ;
- (च) "कम्पनी" शब्द से ऐसा कोई भी निगमिस निकाय अथवा ऐसी कोई भी सक्ता अभिप्रेत हैं जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृक्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत एक कम्पनी अथवा निगमिस निकाय के रूप में मानी गयी हो;
- (छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम' तथा ''ट्रसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम'' शब्दों से त्रमणः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिन्नेत हैं;

- (ज) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" शब्दों से अभिप्रेत है—एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा
 संचालित किसी जलयान अथवा किसी वायुयान
 द्वारा कोई भी परिवहन, सिवाय इसके जब उक्त
 जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी
 राज्य में स्थित स्थान के बीच ही चलाया जाता
 हो;
- (क्ष) ''सक्षम प्राधिकारी'' गब्द से ग्रभिप्रेत हैं—भारत के भामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मल्लालय (राजस्व विभाग) श्रथवा उसका प्राधिकृत प्रति-निधि तथा इण्डोनेशिया के भामले मे, वित्त मंत्रालय ग्रथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- (ञा) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेन है—-िकसी संविदा-कारी राज्य की राष्ट्रिकता रखने वाला कोई भी व्यष्टि और कोई भी विधिक व्यक्ति, भागीदार अथवा एसोसिएशन जिसे संविदाकारी राज्य में प्रवृक्त कानूनो से अपनी हैसियत प्राप्त हो ।
- 2. जहां तक एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लागू करने का संबंध है, किसी भी भव्य का, जो इस करार में परिभापित नही है, विषयगत पाठ की श्रन्यथा श्रपेक्षा नही होने पर, वही श्रर्थ होगा जो उस राज्य के उन कानूनों के अधीन उसका भ्रष्य होता है। जो उन करों से संबंधित है, जिन पर यह करार लागू होता है।

प्रनुच्छेद 4

निवासी

- 1. इस करार के प्रयांजनों के लिए "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्दों में ऐसा कोई भी व्यक्ति श्रभिप्रेत हैं जिस पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के श्रन्तर्गत, उसके श्रधिवास; निवास, प्रवन्ध-स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी श्रन्य कसौटी के कारण उसमें कर लग सकता है। जिल्तु इन शब्दों के धर्थ-विस्तार के श्रन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं श्राता है जिस पर उस राज्य में स्रोतों से प्राप्त श्राय के मंतंध में ही उस राज्य में कर लग सकता है।
- जहां पराग्राफ 1 के उपबधो के कारण कोई व्यष्टि दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उसकी हैंसियत निम्नानुसार निश्चित की जाएगी;
 - (क) वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसको कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसको दोनो ही राज्यो में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और श्राधिक संबंध धनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);

- (ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, निश्चय नहीं किया जा सकता हो स्थवा उसको दोनों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमे उसका ऐसा आवास हो जिसमें वह सामान्यतः रहता हो;
- (ग) यदि उसका दोनों राज्यों में ऐसा श्रावास हो जिसमें वह सामान्यतः रहता हो श्रथवा दोनों मे से किसी में भी ऐसा श्रावास नही हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा इस प्रशन का निर्णय करेंगे।
- 3 जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि में भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविद्याकारी राज्यों का निवासी हो, तो संविद्याकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, उसके निगमीकरण के स्थान, प्रभावी प्रवन्ध-व्यवस्था के स्थान तथा भ्रन्य संगन कारकों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रग्न का निर्णय परस्पर सहमति से करेंगे।

मनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

- 1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी संस्थापन" शब्दों से कारोबार का वह निश्चित स्थान श्रमित्रेत हैं जिसके माध्यम से किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।
- "स्थायी संस्थापन" शब्दों के प्रर्थ-विस्तार के श्रन्तर्गत विशेषतः निम्नलिखित श्रांते हैं।
 - (क) प्रबन्ध-व्यवस्था का कोई स्थान;
 - (ख) कोई शाखा;
 - (ग) कोई कार्यालयः
 - (घ) कोई कारखाना;
 - (ड.) कोई कर्मशाला;
 - (च) कोई खान, कोई तेल प्रयदा गैम कूप, कोई खदान ध्रध्या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई ध्रत्य स्थान;
 - (छ) कोई भवन-स्थल ध्रथवा कोई निर्माण घ्रथवा प्रतिष्ठापन श्रथवा संयोजन परियोजना ध्रथवा उसके संबंध में पर्यवेक्षी कार्यकलाप, लेकिन केवल ऐसा स्थल, परियोजना घ्रयवा कार्यकलाप जो 183 दिन से अधिक घ्रयधि के लिए जारी रहता हो !

- 3. इस ग्रनुक्छेद के पूर्ववर्ती उपबधों के होते हुए भी, "स्थायी सम्धापन" शब्दों के ग्रर्थ-विस्तार के ग्रन्तर्गत निम्न-लिखित को शामिल नहीं माना जाएगा.
 - (क) ध्रनन्य रूप मे उद्यम के माल प्रथवा निजारती सामान के भण्डारण प्रथवा उसके प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ मुक्षिधाओं का प्रयाग करना,
 - (ख) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनाथ उद्यम के माल अथवा निजारती सामान का कोई स्टाक रखना.
 - (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के उद्देश्य स उद्यम के माल श्रथवा तिजारती सामान का कोई स्टाक रखना
 - (घ) उद्यम के लिए क्विल माल अथवा निजारनी सामान खरीदने अथवा सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना.
 - (इ) उद्यम के लिए केवल विज्ञापन के प्रयोजनार्थ,
 सूचना देने के लिए, वैज्ञानिक श्रनुसधान के लिए
 अथवा समान कार्यकलापों के लिए, जो प्रारम्भिक
 श्रथवा सहायक किस्म के हो, कारोबार के किसी
 निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ।
- 4 जहां कोई व्यक्ति (किसी स्वतन्न हैसियत के किसी एजेंट से भिन्न व्यक्ति जिस पर पैराप्राफ 7 के उपबंध लागू होते हो) दूसरे सविवाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर में एक सविवाकारी राज्य में कार्य कर रहा हो, तो किन्ही भी कार्यकलापों के बारे में, जो वह व्यक्ति उस उद्यम के लिए सम्पन्न करता है, उस उद्यम का प्रथमोलिखित राज्य में कोई स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा, यदि
 - (क) वह व्यक्ति, उद्यम की तरफ में सविदाए निष्पन्न करने के लिए प्रथमक्ति राज्य में व्यावहारिक रूप में प्राधिकार रखना हा, ग्रथवा
 - (ख) वह व्यक्ति प्रथमोक्त सिवदाकारी राज्य में उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का ऐसा स्टाक रखता हो, जिससे वह उस उद्यम की तरफ से नियमित स्प से माल अथवा पण्य वस्तुओं की डिलीवरी करता है।
- 5 एक सिवदाकारी राज्य के किसी उद्यम के बारे में दूसरे सिवदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना उस स्थिति में साना जाएगा यदि वह राज्य दूसरे मिवदाकारी राज्य में, श्रपने वर्मचारियों श्रथवा श्रम्य कार्मिकों के माध्यम से जो किसी स्वनत्न हैसियत के किसी श्रिभकर्ना से भिन्न हो और जिस पर पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हो, परामर्ण-दाक्षी सेवाओं सहित सेवाए प्रवान करना हा, बणतें कि इस प्रकार के कार्यकला। देश के भीतर (समार अथवा सम्बद्ध परियोजना के लिए) किन्ही भी बारह महीने की श्रिवंध में

कुल मिलाकर 91 विन की ग्रवधि ग्रथवा श्रवधियों के लिए किए जाने रहने हो ।

- 6 एक सिवदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यप के सबध में उस स्थिति को छोड़कर जब वह पुनर्बीमा से सबिधत हो, यह माना जाएगा कि उसका दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन है, यदि वह दूसरे राज्य में प्रीमियम एकतित करता है श्रयवा किसी ऐसे कर्मचारी या किसी ऐसे प्रतिनिधि के माध्यम से, जो पराधाफ 7 के श्रयं के अन्तर्गत एक स्वतव ईसियत का श्रीभक्ती नहीं हों, वहा स्थित जोखिम का बीमा करना हों।
- 7 एक सिवदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे सावदाकारी राज्य में मान्न इस कारण से कोई स्थायी सम्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैिसयत वाल किसी अन्य एजेंट के माध्यम ने कारोबार करता है, बगर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार वो सामान्य रूप से कर रहे हो। तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णत अथवा लगभग पूर्णत. उस उद्यम की एवज में समर्पित हां, नो वह इस पैराग्राफ के अर्थ के अनुसार एक स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट नहीं माना जाएगा।
- 8 इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जा एक सिवदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है प्रथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्रथवा जो उस दूसरे सिवदाकारी राज्य (चाहे किसी स्थार्या संस्थापन के माध्यम से प्रथवा प्रन्थथा) में कारोबार चलाती है, तो उस दोनो कम्पनियों सं से कोई भी कम्पनी स्वत दूसरी कम्पनी का एक स्थायी सम्थापन नहीं बन जाएगी।

श्रनुच्छेद ५

ग्रचन सम्पत्ति से ग्राय

- गण्क सिवदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरें मिवदाकारी राज्य में स्थित भ्राचल सम्पत्ति में प्राप्त भ्राय पर, जिसमें कृषि श्रथवा वानिकी से प्राप्त भ्राय भी णामिल है, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।
- 2 "अचल सम्पत्ति" मब्द का भ्रर्थं निरूपण उस सिवदा कारी राज्य के कानूनों के भ्रन्तर्गत होगा जिसमे प्रण्नाधीन सम्पत्ति स्थित है। इन शब्दों में किसी भी हालत में ये शामिल होगे——अवल सम्पत्ति के उप साधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि एवं वानिकृषि में प्रयुवत पणुधन और उपस्कर तथा ऐसे श्रिधकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबर्धा सामान्य कानूनों के उपबंध राग होते हो, अचल सम्पत्ति का भोगने का अधिकार, तथा खनिज भण्डार, स्त्रात तथा श्रन्य प्राकृतिक समाधना के कार्य श्रथवा कार्य करने वे श्रधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार। जायानों, नावा तथा वायुयानों को ग्रचल सम्पत्ति नहीं माना जाएगा।

- 3 पैराग्राफ 1 के उपबंध ग्रचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग से, किराये पर देने से ग्रथवा किसी अन्य प्रकार में उपयोग में प्राप्त होने वाली श्राय पर भी लागू होगे।
- 4 पैराग्राफ 1 ऑर 3 के उपबंध किसी उद्यम की श्रचल सम्पत्ति से प्राप्त श्राय के साथ-साथ स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिये इस्तेमाल मे लायी गयी श्रचल सम्पत्ति से प्राप्त श्राय पर भी लागू होंगे।

ग्रनुष्छेद ७

कारोबार से लाभ

- 1 किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाम पर उसी राज्य में कर केवल तभी लगाया जाएगा जब कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उपर्युक्त नरीके से कारोबार करना हो तो उस उद्यम के लामों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके केवल उतने अंग्र पर ही कर लगेगा जो निम्नलिखित के कारण उत्यम्न हुम्ना भाना जा सकता है—(क) उस स्थायी संस्थापन, (ख) उस दूसरे राज्य में एक ममान अथवा उससे मिलते-जुलते माल अथवा पण्य-वस्तुओं की बिक्री जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती है।
- 2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के रहते हुए, जहा एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जिरए वहा पर कारोबार करना हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती पिरस्थितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलायों में लगा हुआ कोई निश्चित और । नम्न उद्यम होता और उस उद्यम के माथ पूर्णत: स्थांत रूप में कारोबार करना जिसका वह एक स्थायी मंस्थापन है।
- 3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभो के निर्धारण में उन व्ययों को कटौतियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा, जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किए गए हो, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल है, चाहे वह उस राज्य में किए गए हों उहा स्थायी संस्थापन स्थित है श्रथवा अन्यव्न किए गए हों। किन्तु उक्त स्थायों संस्थापन द्वारा उस उद्यम के प्रधान कार्यालय को श्रथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को पेटेन्टो श्रथवा अन्य श्रधिकारों के उपयोग के प्रतिफल में राप्रलिट्यों, फीस अथवा श्रन्य मिलती-अुलती अदायगियों के तौर पर, अथवा की गयी विशिष्ट संवाओं अथवा श्रवन्ध व्यवस्था के लिए कमीशन के तौर पर श्रथवा किसी वैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर व्याज के रूप में यदि कोई रकमें

- ख्रवा की गर्या हों (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) तो उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं वी जाएगी। इसी प्रकार, किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जायेगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उस उद्यम के प्रधान कार्यान्य की या उसके ग्रन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को पेटेन्टो ग्रथवा ग्रन्य ग्रधिकारों के उपभोग के बदले में रायित्यों, फील ग्रथवा ऐसी ही ग्रन्य ग्रदायिगयों के तौर पर ग्रथवा सम्पन्न की गयी विशिष्ट सेवाओं ग्रथवा प्रवी व्यवस्था के लिए कमीशन के रूप में ग्रथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, उद्यम के प्रधान कार्यालय को ग्रथवा उसके श्रन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की
- 4 जहा किसी सिवदाकारी राज्य मे उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों में श्रनुभाजित किए जाने के श्राधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए माने जाने वाले लाभों को तथ करने की प्रथा रही हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी प्रथागत श्रनुमाजन पद्धित मे कर लगने वाले लाभों का निर्धारण करने से प्रतिवाधित नहीं करेगी, लेफिन श्रपनाई गयी श्रनुभाजन पद्धित ऐसी होंगी कि उसका परिणाम इस श्रनुष्टेंद में विहित सिद्धांतीं के श्रनुसार होगा।
- 5. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुम्रा नही माना जाएगा कि उस स्थायो संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल या पण्य वस्तुएं खरीशे गयी है।
- 6. पूर्ववर्नी पैराग्राफो के प्रयोजनार्थ एथायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने बाले लामो को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक उसके विशरीत कोई उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।
- 7. जहां लाभों मे श्राय की वे मदें शामिल है जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में श्रलग मे विवेचन किया गया है, वहा उन श्रनुच्छेदों के उपवंध इस अनुच्छेद से प्रभावित नहीं होंगे।

श्रनुच्छंद 8

नीबहन तथा विमान परिवहन

- 1. किसी संविधाकारी राज्य के किसी उध्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जनयानों अयवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लागों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जायेगा।
- 2. इस अनुज्छेद के पराग्राफ । के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त होने बाले लाभी पर भी लागू होंगे।

- 3. इस अनु च्छेद के प्रयोजनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जनवान अयवा वायुयान के परिचालन से संबंधित निधियों पर के व्याज को ऐसे जलवान अथवा वायुयान के परिचाल। से प्राप्त लीभ माना जाएगा तथा अनु च्छेद 11 के उपबन्ध ऐसे व्याज के मामने में लागू नहीं होंगे।
- 4. "जलयान अथवा वायुयान परिचालन" पद से तास्पर्य होगा—जलयान अथवा वायुयान के मालिकों अथवा पट्टेवारों अथवा अवकेताओं द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल के परिवहन कारोबार, जिसमें भ्रन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिकी, जलयान अथवा वायुयान का आकस्मिक पट्टा तथा ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलांच भी शामिल हैं।

अ**नुष्छेद** 9 सम्ब**त** उद्यम

1. जहा---

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबन्ध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षनः भाग लेता है, अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी ज्ञान और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी ज्ञान की प्रवन्ध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी मे प्रत्यक्षतः अथवा अश्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्त रखी अथवा लगाई जाती है, जो उन णतीं से भिन्न है जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों में नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकोंगे और उन पर तदनसार कर लगाया जाएगा।

2. जहां कोई संविद्याकारी राज्य अपने लाभों की उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में गामिल करता है और उन लाभों पर तदनुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे मंबिदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के गामिल किए गए लाभ वे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को प्राप्त हुए होते, यदि दो उद्यमों के बीच रखी गई गतें वहीं था, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी गई होती, तो वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उस राज्य में लगाए गए कर की राशि का उचित समायोजन करेगा। ऐसे समायोजन का निर्धारण करते समय इस करार के ग्रन्य उपबंधों की ओर भी सम्यक ध्यान देना होगा और संविद्याकारी राज्यों के सक्षम प्राधि- कारियों को, यदि आवश्यक हुआ, एक-दूसरे से परामर्श करना होगा।

अनु**च्छेद** 10

लाभांश

- 1. एक संविदाकारी राज्य की किसी निवासी कम्पनी बारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अवा किए गए लाभांशों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है।
- 2 तथापि, ऐसे लाभांगों पर उस मंविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिस राज्य की लाभांग अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है और यह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांगों का हिसभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा।
 - (क) लाभागों की सकल रकम का 10 प्रतिशत, यदि हितभागी स्वामी कोई ऐसी कम्पनी है जो लाभाश अदा करने वाली कम्पनी के शोयरों की कम से कम पच्चीस प्रतिशत की स्वामी हो;
 - (ख) अन्य सभी मामलों में लाभाशों की सकल रकम का 15 प्रतिशत।

यह पैराग्राफ ऐसे लाभों के मामले में कम्पनी के करा-धान को प्रमावित नहीं करेगा जिसमें से लामांश अदा किए जाते हैं।

- 3. इस अतुष्छिद में यथाप्रयुक्त "लाभांस" पद का अर्थ है—सेयरों से अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण दावें नहीं हों, लागों में सम्मिलित हों, तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय जिस पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती हैं, जिसकी कि बितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी हैं।
- 4. पैराग्राफं 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति से लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभागी स्थामी एक संविदाकारी राज्य की निश्वासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी कि लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक नियासी हो, उसमें स्थित किसी स्थायी मंस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से उसमें स्थाति जिसके संबंध में लाभांश अदा करता हो और वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं, इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। एसे मामले में अनु चछेष 7 अथवा अनु चछेद 14 के उपबंध में यथास्थित लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है और वह दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य उस कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांकों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, सिवाय इसके कि जहां तक कि उसे दूसरे राज्य के किसी निवासी को इस प्रकार के लाभांका अदा किए जाते हैं अथवा जहां तक कि वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांका अदा किए जाते हैं, उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी मंस्थापन से अथवा किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है, और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर लगाया जा सकने वाला कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांका अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंग्रिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अमुष्छेद 11

व्याज

- 1. एक मंजिदाकारी राज्य मे उद्भूत होने वाले तथा दूसरे संजिदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।
- 2. तथापि, ऐसे ब्याज पर, उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वह उद्भूत होता है उस राज्य की विधियों के अनुसार कर लगाया जाएगा परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितमागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर उक्त स्थाज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
 - 3. पैराग्राफ 2 के उपवन्धों के बायजूद:
 - (क) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छुट प्राप्त होगी यदि यह निम्नलिखित ब्रारा प्राप्त किया गया हो तथा लाभप्रद रूप से धारित हों;
 - (1) दूसरे सिवदाकारी राज्य की सरकार, कोई राज-नैतिक उप प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा
 - (2) दूसरे संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः धारित केन्द्रीय बैंक अथवा कोई एजेंसी अथवा सहायता केन्द्र (जिसमें वित्तीय संस्था भी शामिल है।)
 - (ख) किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले क्याज पर उस संविदाकारी राज्य में उस राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा तक कर से

- खूट दी जाएगी, यदि वह क्याज उप गैरा (क) में उहिलखित व्यक्ति से भिन्न उस अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो और लाभप्रद रूप से धारित किया गया हो, जो दूसरे मविदाकारी राज्य का निवासी है, वधर्तों कि प्रथमोक्त मंविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा इस संबंध में ऋग दावे के लिए लेन-देन के मामले को अनुमोदित किया गया हो।
- 4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "व्याज" शब्द का अभिप्राय सभी प्रकार के ऋण दावों से प्राप्त आय से हैं (जिसमें विकी की आस्थानित अदायगिया पर ब्याज भी शामिल है), चाहे वह बन्धक के रूप में आरक्षित रखी गयी हो और चाहे उसके बारे में कर्जदार के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं प्राप्त हों और विशेषत. सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय और बंध पन्नों अथवा ऋण पन्नों से प्राप्त होने वाली आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पन्नों अथवा ऋ पन्नों के साथ जुड़े लाभ तथा पुरस्कारों से प्राप्त आय भी शामिल है। देर से की गयी अदायगी के लिए लगाए गए अर्थदण्ड को इस अनुष्ठिद के प्रयोजनार्थ ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 5 पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस रिथित में लागू नहीं होंगे यदि क्यांज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उत्पन्न हुन्ना हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोवार चलाता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र रूप में ब्यक्तिगत मेवाएं प्रदान करना हो और जिस ऋण-दावें के बारे में ब्याज श्रदा किया गया हो, वह इन प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। इस प्रकार के मामले में श्रनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
- 6 किसी संविदाकारी राज्य मे उस स्थिति मे ब्याज उद्भूत हुन्ना माना जाएगा, यदि ब्याज श्रदा करने वाला स्वयं तह संविदाकारी राज्य, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण प्रथवा उक्त राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु जहा ब्याज ग्रदा करने वाले व्यक्ति का, बाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है ग्रथवा नहीं है, संविदाकारी राज्य मे कोई स्थायी सस्थान है ग्रथवा ऐसा कोई निश्चित स्थान है, जिसके सबध मे वह ऋण लिया गया था और जिस पर ब्याज की ग्रदायगी की गयी हो और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान हारा वहन किया जाता है तब यह ब्याज उस सविदाकारी राज्य मे उद्भृत हुन्ना माना जाएगा, जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान हारा वहन किया जाता है तब यह ब्याज उस सविदाकारी राज्य मे उद्भृत हुन्ना माना जाएगा, जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान हिंग है।

7 जहां क्यांज श्रदा करने वाले तथा लाभ-भोगी रवामी के बीच अथा उन दोनों तथा किसी प्रन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का कोई सबध होने के कारण, ब्याज की रकम उस ऋण-दावें का ध्यान में रखने हुए, जिसके लिए इसकी अदायगी की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के सबध नहीं होने की स्थिति में, ब्याज अदा करने वाले तथा हितभागी स्वामी के बीच महमति हुई होती, तो ऐसे मामले में इस अनुष्ठिय के उपबंध केवल अतिम विणित रकम पर लागू होगे। इस प्रकार के मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस करार के अस्य उपबन्धों का संयक ध्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य की विधियों के अनुसार कर लगेगा।

श्रन्७छेद 12

रायित्टया

- 1 एक सविदाकारी राज्य में उदभूत तथा दूसरे सिवदा कारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त रायिल्टियों पर उस दूरों राज्य में कर लगाया जाएगा।
- 2 तथापि, ऐसी रायित्टयों पर उस सिवदाकारी राज्य में जिसमें वे उद्भूत होती है और उसी राज्य के कानूनों के श्रनुसार भी कर लगाया जाएगा परन्तु यदि प्राप्तकर्ता राय-त्टियों का हिन्मागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर रायित्टियों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- 3 इस अनुच्छेद मे यथा-प्रयुक्त "रायित्टिया" शब्द का तात्पर्य—साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति किसी कापीराइट जिसमे रेडियो अथवा दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए प्रयुक्त चलचित्र-फिल्मे, अथवा फिल्मे या टेपे भी णामिल है, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा माङल, प्लान गृन फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगिधिकार के लिए अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग अथवा प्रयोगिकित वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव ने सबिधित सूचना के लिए प्रतिपत्न के रूप मे प्राप्त किसी भी प्रकार की रकम मे है।
- 1 पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायिल्टियों का हितभागी स्वामी एक सिवदाकारी राज्य का नियामी होंने के नाते दूसरे सिवदाकारी राज्य में, जहां रायिल्टियां उद्भूत होती हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के साध्यम में कारोबार करता है, ग्रथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निधिनत स्थान में स्वतन्न व्यक्तिगत मेवाए गिष्पादित करता है, तथा ऐंगे ग्रधिकार ग्रथवा सम्पत्ति जिसके सबध में रायिल्टिया ग्रदा की जाती है, ऐसे स्थायी सस्थापन ग्रथवा निधिनत स्थान में प्रभावी रूप स गवधित है। ऐसे मान्नले में ग्रनुच्छेद 7 और ग्रनुच्छेद 14 के जैसा भी मामला हो, उपबंध लागू होंगे।

- 5 रायिल्टिया एक मिविवाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिन अदाकक्ता स्वय वह राज्य, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का नोई निवासी हो। किन्तु जहा रायिल्टिया अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक सिविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं, किसी सिविदाकारी राज्य में कोई स्थायी सस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान है जिसके संबंध में रायिल्टियों की अदायगी करने की जिम्मेदारी उपगत थी, तथा ऐसी रायिल्टिया ऐसे स्थायी सस्थापन अथवा गिश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है तब ऐसी रायिल्टिया उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी सस्थापन अथवा निश्चित स्थान हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी सस्थापन अथवा निश्चित स्थान हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी सस्थापन अथवा निश्चित स्थान हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी सस्थापन अथवा निश्चित
- 6 जहा श्रदाकर्त्ता और हितभागी स्वासी के बीच श्रथवा उन दोनो तथा किसी श्रन्य व्यक्ति वे बीच विशेष प्रकार का सबध होने के कारण रायिल्टा, की रकम, प्रयोग, श्रिष्ठकार श्रथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए रायिल्ट्यों की श्रदायगी की जाती है, उस रकम में बढ जाती है, जिस पर ऐसे संबंधों के नहीं होने पर श्रदाकर्त्ता तथा हितभागी स्वामी द्वारा सहमित हो गयी होती, तो वहा इस श्रनुष्छेद के उपबंध केवल श्रन्तिम विणित रकम पर ही लागू होगे। ऐसे मामले में श्रिष्ठक श्रदा की गयी रकम इस करार के श्रन्य उपबंधों का यथीं बत ध्यान रखते हुए प्रत्येक सिवदाकारी राज्य की विधियों के श्रनुसार कराध्य होगी।

श्रन्च्छेद 13

पूजीगत श्रभिलाभ

- 1 एक सिवदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनु-च्छेद 6 मे उल्लिखित और दूसरे सिवदाकारी राज्य मे स्थित प्रचल सम्पत्ति के घ्रेन्तरण से प्राप्त होने वाले ध्रिभिलाभी पर उस इसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 2 चल सपित के श्रन्तरण ने प्राप्त हुए श्रिमलाभो पर, जो एव संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किसी स्थायी सस्थापन की ज्यापारिक सम्पत्ति के अग-रूप में दूसरे सिवदा- कारी राज्य में स्थित है अथवा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे सिवदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निश्चित स्थान में सबधित चल सम्पत्ति हा, जिनमें ऐसे स्थायी मस्थापन (अकेले अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित रथान के अन्तरण से होने वाले ऐसे अभिलाभ भी शामिल है, उन पर दूसरे राज्य में कर नगया जा सके गा।
- 3 ग्रन्तरराष्ट्रीय यानायान में चलाए जाने वाले जलयानों ग्रंथवा वाय्यानों ग्रंथवा इस प्रकार के जलयानों श्रंथवा वाय्यानों के सचालन में संबंधित चल सम्पत्ति रे श्रन्तरण में प्राप्त ग्रंभिलाभों पर केवल उस सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि श्रन्तरणकक्की निवासी है।

4. भैराग्राफ 1, 2 और 3 में उिलिंगित मन्भीत में भिन्न किसी भी सम्पत्ति के श्रन्तरण से प्राप्त श्रमिलाभा पर केवल उस सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा गर्केगा जिसका शन्तरकर्त्ता निवासी है।

श्रन्ध्छेद 14

म्यतंत्र व्यक्तिगम सेवाएं

- 1. किसी सिवदाकारी राज्य के किसी निकासी हारा व्यावसायिक सेवाओं श्रयवा उसी स्वरूप के श्राय स्वतात कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त श्राय, निम्नतिस्ति परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी श्राय पर दूसरे संविदा-कारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होगी:
 - (क) यदि उसे भ्रपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संत्रिज्ञकारी राज्य में एक निश्चित स्थान निश्मित रूप से उपतब्ध हैं तो उस मामले में उप दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी रक्तम पर कर लगाया जा सकेगा जी उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है, भ्रथवा,
 - (ख) यदि दूसरे गंविशकारी राज्य में उसके ठहरने की अविधि अववा अविधिया किसी 12 माह की अविधि में 91 दिन अवश कुल मिलाकर उसमें अधिक हो तो उस गामले में, उक्त आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सबेगा जो स दूसरे राज्य में निर-पादित उनके कार्य-कलायों में आपत होती हो।
- 2. "व्यायसायिक मेवाए" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, माहित्यक, कलात्मक, गैक्षिक अथात्र अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सको, शल्यचिकित्सको, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सको तथा लेखापालों के स्वतंत्र कार्य-कलाप गामिल हैं।

ऋत्मछेद 15

पराश्चित व्यक्तिगम मेवाएं

- 1. श्रमुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के उपबन्धों के श्रधीन रहने हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त बेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के श्रन्थ पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा जब तब कि उमत नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में सम्पन्त नहीं किया गया हो। यदि इस प्रकार लियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहां से प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा मकेगा।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपयंशों के होते हुए भी, एक संविदा-कारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य 299 GI/88—2

- भ सम्पन्न किए गए किनी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :
 - (क) प्राप्तकर्त्ता दूसरे राज्य मे किसी माह बारह माह की श्रविध में जुल मिलाकर 183 दिन से अनिधक की श्रविध अथवा श्रविधयों के लिए मौजूद रहा हो, और
 - (ख) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजन द्वारा भ्रयवा उसकी ओर से भ्रदा किया गया हो जो उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और
 - (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन श्रथवा किसी निश्चित स्थान से बहन नहीं किया गया हो, जो नियोजक का दूसरे राज्य में हैं।
- 3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी,

 एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय

 पातायात में किसी जलयान श्रथवा किसी वायुयान पर सवार

 रोकर उसके परिचालन में सम्पन्न किए गए किसी नियोजन

 के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केयल उस राज्य में

 लगाया जा सकेगा।

म्रनुष्छेद 16

निदेशकों की फीस

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी

ग्रेमी कम्पनी के निदेशक-मण्डल के एक सदस्य की हैसियत

(चाहे किसी भी नाम से इसे बुलाया जाए) से जो दूसरे

संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस

तथा उमसे मिलती-जुलती श्रदायिगयों पर कर उस दूसरे

राज्य में लगाया जा मकेगा।

अनुच्छेद 17

मनोरंजनकर्ता तथा खिलाड़ी

- 1. श्रनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे कि एक थियेटर, चलचित्र, रेडियो श्रथवा द्रदर्शन कलाकार श्रथवा एक संगीतकार श्रथवा एक खिलाड़ी के रूप में श्रपने व्यक्तिगत कार्यकलापों मे, जिन्हें वह दूसरे संविदाकारी राज्य में सम्पन्न करता है, प्राप्त श्राय पर कर उल दूसरे राज्य में लग सकेगा।
- 2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता श्रयवा किसी खिलाड़ी हारा इम प्रकार की श्रपनी हैमियत में सम्पन्न किए गए व्यक्तिगत कार्यकवापों के सम्बन्ध में उद्भूत श्राय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता श्रयवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है श्रपितु किमी ग्रन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, यहां श्रनुंच्छेद 7, 14 और 15 के उपबन्धों के होते हुए भी उम श्राय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उक्त मनोरंजनकर्ता श्रयवा खिलाड़ी क्षारा ऐसे कार्यकलाप मम्पन्न किए गए हों।

- 3 पैराधाफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी किमी मनोरजनकर्ता ग्रथवा किसी खिलाडी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैसियत में सम्पन्त किए गए ग्रपने व्यक्तिगत कार्यकलायों से ग्रजित ग्राय प्रथमोल्लिखत राज्य में कर योग्य होगी, यदि:
 - (क) दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की मार्वजनिक निधियों से जिसमें उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी भामिल है, पूर्णत अथवा पर्याप्तताः समर्थित हो, अथवा
 - (ख) दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच स्वीकृत सांस्कृतिक स्रादान-प्रदान के किसी कार्यक्रम विशेष के सनसरण में है।
- 4. पैराग्राफ 2 और ग्रनुष्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्ता ग्रथवा किसी खिलाड़ी द्वारा ग्रपनी उसी हैसियत में एक संविधाकारी राज्य में सम्पन्न किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापी के सम्बन्ध में उद्भूत ग्राय, स्वयं उम मनोरंजनकर्ना ग्रथवा खिलाड़ी को प्राप्त नही होती है परन्तु किसी ग्रन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह ग्राय केवल दूसरे मंविधाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि
 - (क) वह दूसरा व्यक्ति उस दूसरे राज्य की, जिसमें उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग प्रथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः ग्रथवा पर्याप्ततः समर्थित किया गया हो, ग्रथवा
 - (ख) दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी होने के कारण किसी व्यप्टि द्वारा ऐसे कार्यकलापों को निष्पन्न किया जाता है, जो दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच स्वीकृत सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान के किसी कार्यक्रम विशेष के अनुसरण में है तथा जिस अन्य व्यक्ति को वहां से श्राय प्राप्त होनी है, वह दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है।

ग्रनुच्छेद 18

सरकारी सेवा के सम्बन्ध में पारिश्रमिक तथा पेंगन

ग. एक संतिदाकारी राज्य ग्रथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग ग्रथवा किसीं स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यप्टि को उस राज्य ग्रथवा उसके उप-प्रभाग ग्रथवा प्राधिक करण के लिए सम्पन्त की गई सेवाओं के निमिक्त प्रदत्त किसी पेशन से भिन्न, पारिश्रमिक पर कर केवल उस राज्य में ही लग सकेगा। लेकिन ऐसे पारिश्रमिक पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में सम्पन्त की जाती है तथा वह व्यष्टि उस राज्य का एक निवासी है जो

(क) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है; भ्रथवा

- (ख) माल मेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का एक निवासी नहीं बना था।
- 2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा ग्रथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग ग्रथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ग्रथवा मृजित किए गए कोष में से किसी व्यप्टि को उसके द्वारा उस राज्य ग्रथवा उप-प्रभाग ग्रथवा प्राधिकरण के निमित्त सम्पन्न की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किसी पेंशन पर कर केवल उस राज्य में ही लग सकेगा। किन्तु ऐसी पेंगन दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उस स्थित में ही कराधेय होगी यदि व्यप्टि उस राज्य का एक निवासी सथा एक राष्ट्रिक है।
- 3. अनुच्छेद 15, 16 और 17 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य श्रथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग श्रथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न किए गए कारोबार के सिलसिले में की गई सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुए पारिश्रमिक और पेशन पर लागू होंगें।

श्रनुच्छेद 19

गैर- सरकारी पेंशन तथा वार्षिकी

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्रोतों से प्राप्त किसी पेंगन पर, जो अनुक्छेद 18 में उल्लिखित पेंगन से भिन्न हो, श्रथवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमो-ल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही लगाया जा सकेगा।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदा-कारी राज्य (श्रयवा उसके प्राधिकृत श्रभिकरण) की सरकार द्वारा ग्रानुमोदित किसी पेंशन निधि में से दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के विगत नियोजन को ध्यान में रखते हुए श्रवा की गई पेंशन पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 3. "पेंग्रन" शब्द में विगत सेवाओं के प्रतिफल के रूप में ग्रथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुए जख्मों के लिए क्षितिपूर्ति के रूप में की जाने वाली कोई श्रावधिक श्रदायगी श्रभिप्रेत हैं।
- 4. "वार्षिकी" शब्द से जीवन-काल में प्रथवा विनिर्दिष्ट अथवा निम्चेय ममयाविध के दौरान धन प्रथवा धन के बराबर पर्याप्त सथा पूर्ण प्रतिफल के बदले में ध्रदायगी करने के लिए किसी इकरार के अन्तर्गत निश्चित समय मे ध्राविधक द्याधार पर श्रदायगी योग्य कोई निश्चित राणि ध्रभिप्रेत है।

मनुष्छेद 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

- 1. किसी विद्यार्थी प्रथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दीरा करने के तुरन्त पहले दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है प्रथवा था और जो मात्र प्रपनी शिक्षा प्रथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, निम्निलिखित पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी:
 - (क) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोधण, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसे की गई श्रदायगिया; और
 - (ख) उस दूसरे राज्य के किन्ही बारह माह की श्रविध के दौरान नियोजन मे प्राप्त पारिश्रमिक जो, 20,000 र. ग्रथवा 2,000,000 र. से श्रधिक न हो, जैसा भी मामला हो, बगर्ते कि ऐसा नियोजन प्रत्यक्षतः उमके श्रध्ययन से संबंधित हो अथवा भरण-पोषण के प्रयोजनार्थ किया जाता हो।
- 2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी समय-अवधि तक के लिए प्राप्त होगा जो उकत शिक्षा अथवा शुरू किए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु इस अनुच्छेद का लाभ किसी व्यप्टि को किसी भी हालन में उस दूमरे संविदाकारी राज्य में उसे पहली बार पहुंचने की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्राप्त नहीं होगा।

श्रनुच्छेद 21

प्राध्यापक, ग्रध्यापक और गोध-छात्र

- 1. किसी प्राध्यापक ग्रथवा ग्रध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय ग्रथवा ग्रन्य भनुमोदित संस्था में ग्रध्यापन भ्रथवा शोधकार्य के प्रयोजनार्थ भ्रथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में जाने के तुरन्त पूर्व दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है ग्रयवा था, ऐसे श्रध्यापन भ्रथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से दो वर्ष से श्रनधिक की श्रविध के लिए उस दूसरे राज्य में कर से श्रूट प्राप्त होगी।
- 2. यह अनुच्छेद उस शोध-कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध-कार्य मुख्यतः किसी ब्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो।
- 3. इस अनुच्छंद और अनुच्छंद 20 के प्रयोजनार्थ किसी क्यांटि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा, यदि वह उस आय वर्ष में उस संविदाकारी राज्य का निवासी हो जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा उस आय वर्ष के तत्काल पूर्व वर्ष में।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "मान्यता प्राप्त संस्था" का मर्थ एक ऐसी संस्था से हैं जिसे इस संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गई है।

मनुन्छेद 22

श्रन्य श्राय

- 1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के ग्रधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की ग्राय की ऐसी मदें, जहां कही वे उद्भूत होती हों, और जिन पर इस करार के पूर्वीक्त ग्रमुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विचार नही किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगी।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंध ग्रनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथापरिभाषित श्रचल संपत्ति से प्राप्त भ्राय से भिन्न ग्राय पर लागू नही होंगे, यदि ऐसी भ्राय का प्राप्तकर्ता एक संविद्वाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविद्वाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है श्रथवा उम दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान में स्वतंत्र ध्यावितक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा श्रधिकार श्रथवा संपत्ति जिसके सर्वंध में ऐसी श्राय ग्रदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन भ्रथवा निश्चित स्थान से प्रभावी क्ष्प से सम्बद्ध है। ऐसे मामले म अनुच्छेद 7 श्रथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसा भी स्थिति हो, लागू होंगे।
- 3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की श्राय की ऐसी मदों पर भी जिन पर इस करार के पूर्वीक्त अनुच्छेकों में विचार नही किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भृत होती है, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

श्रनुच्छेद 23

दोहर कराधान का भ्रपाकरण

- 1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रकृत कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में ग्राय कर करा-धान के मामलों में लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पर इस करार में उनके विषरीत कोई प्रावधान किया जाता है।
- 2. इंडोनेशिया के कानूनों के अंतर्गत तथा इस करार के उपबंधों के अध्यक्षीन संदेश इंडोनेशियाई कर, जिसे भारत के किसी मिवासी द्वारा इंडोनेशिया में उद्भूत हुए लाभ अथवा आय के संबंध में प्रत्यक्ष रूप में अथवा कटौती करके अदी किया गया हो और जिस कर पर भारत तथा इंडोनेशिया दोनों देशों में कर लगाया जा सकता है, ऐसे लाभों अथवा आय पर संदेय भारतीय कर में से कटौती के रूप 4 अनुमत्य होगा बशतें कि ऐसे लाभ की रकम उस भारतीय कर (इस प्रकार की कटौती की अनुमति दिए जाने से पूर्व यथासगणित) से अधिक नहीं होनी चाहिए जो इंडोनेशिया में उद्भूत हुए

लाभों भ्रयवा भ्राय के लिए सम्चित है। इसके श्रतिरिक्त, जहां ऐसा निवासी कोई कंपनी है, जिसके कारण भारत में श्रांतकर संदेय हैं, तो ऐसे मामले में उपर्युक्त कटौती की भ्रनुमति कंपनी द्वारा भारत में संदेय भायकर के प्रति तथा उसके द्वारा भारत में संदेय श्रतिकर की भेष रकम के प्रति, यदि कोई हो, प्रथम बार मिलेगी।

- 3. "संदेय इंडोनेशियाई कर" में इंडोनेशियाई कर की वह रकम भी शामिल की गई मानी जाएगी जो उस स्थिति में भ्रदा कर दी गई होती यदि उस पर 1983 के कानून संख्या 7 (भ्रन्डांग-अन्डांग पाजाक पेंधासिलन 1984) के भनुच्छेद 33 के तहत किए गए प्रोत्साहन संबंधी ऐसे विशेष उपायों के भ्रन्मार छूट नहीं दी गई होती श्रथवा उस पर कटौती नहीं की गई होती जिन उपायों का निर्माण इंडोनेशिया के श्राधिक विकास का संबर्द्धन किए जाने के उद्देश्य से किया गया है और जो इस करार पर हस्ताक्षर हाने की तारीख को प्रभावी हैं श्रथवा जिन्हें इंडोनेशिया में श्राधिक विकास का संवर्द्धन किए जाने के लिए विद्यमान उपवंधों में भविष्य में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन करके पुरःस्थापित किया जा सकता है और प्रोत्साहन संबंधी भ्रन्य ऐसे उपाय जिन पर संविद्याकारी राज्यों के बीच सभय-समय पर सहमित प्राप्त हो सकती है।
- 4. इंडोनेशिया के किसी निवासी द्वारा भारत में उद्भूत हुए लाभों अथवा आय के संबंध में, जिस पर भारत तथा इंडोनेशिया, दोनों राज्यों में कर लगाया गया हो, प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती करके भारत के कानूनों के अंतर्गत तथा इस करार के उपबंधों के अनुसार संदेय भारतीय कर की रकम पर ऐसे लाभों अथवा आय पर संदेय इंडोनेशियाई कर के प्रति कटौती की अनुमति प्राप्त होगी बगर्ते कि ऐसी कटौती की रकम उस इंडोनेशियाई कर (इस प्रकार की कटौती की अनुमति दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित) से अधिक नहीं हो जो भारत में उद्भूत हुए लाभों अथवा आय के अनुरूप हों।
- 5. "संदेय भारतीय कर" में भारतीय कर की वह राशि भी शामिल की गई मानी जाएगी जो उस स्थिति में प्रदा कर दी गई होती यदि उस पर भारतीय प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के तहत किए गए प्रोत्साइन संबंधी ऐसे विशेष उपायों के भन्सार छूट नहीं दी गई होती प्रथवा उस पर कटौती नहीं की गई होती जिन उपायों का निर्माण भारत में भाषिक विकास का संबंधन किए जाने के उद्देश्य से किया गया है और जो इस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख को प्रभावी है प्रथवा जिन्हें भारत में भाषिक विकास का संबंधन किए जाने के लिए विद्यमान उपबंधों में भविष्य में कोई परिवर्तन प्रथवा परिवर्द्धन करके पुरःस्थापित किया जा सकता है और प्रोत्माहन संबंधी ऐसे उपाय जिन पर सविदाकारी राज्यों के बीच समय-समय पर सहमित प्राप्त हो सकती है।

यनुच्छेद 2.4

सम-व्यवहार

- 1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे सविदा कारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई प्रपेक्षा लागू नही होगी, जो उस कराधान मे और उन संबंधिन अपेक्षाओं से भिन्न अथवा श्रिथिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर एक समान गरिस्थिनियों में लागू होनी है अथवा हो सकती है।
- 2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी सस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नही होगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक समान परिस्थितियों में समस्य कार्यकलायों को करने के लिए लागृ होने वाले कराधान से अमेक्षाकृत कम अनुकृत हो।
- 3. इस अनुष्छेद में, ितिहत किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के उन व्यक्तियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की व्यक्तिगत छूट, राहत, कटौतियां तथा घटौतियां मंजूर करने के लिए, जो कि कानून द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध है जो वहां के निवासी है, उपकृत करना है।
- 4. एक सैविद्याकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंगतः दूसरे संविद्याकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोत्रन संविद्याकारी राज्य मे ऐसा कोई अराधान अथवा नत्नंत्री कोई भी अपेक्षा लागू नहीं होगी जो उस कराबान से तथा किन्हीं भी संबंधित अपेक्षाओं से, भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोत्निलिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर एक समान परिस्थितियों के अबीन लगाई जाती है अथवा लगाई जा सफती हैं।
- 5. इस अनुच्छेर में "कराधान" गब्ब का अर्थ उन करों के है जो इस करार के विषय है।

अनुच्छेद 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यो की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपवंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत उपवंधित उपायों के होते हुए भो उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास अगना मामणा प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है। इस मामले को उस कार्यवाही के नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से, सीन वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए,

जिसके कारण लगाया गया कर इस करार के अनुकूल नहीं है।

- 2. यदि मक्षम प्राधिकारी को आपित उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी समुचित समाधान पर पहुंचने में अगमर्थं हो तो वह ऐसं कराधान के परिहार की दृष्टि में, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे गंविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर महमति से उस मामले का समाधान करने का प्रयाम करेगा। किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्य के राष्ट्रीय कानूना में कोई भी गमय सीमा क्यों न हो।
- 3. यदि इस परार की ध्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई किटनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमित से हल करने का प्रयाम करेगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विर्मण कर मकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है।
- 4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ सांवेदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जहां समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त समझा जाता हो वहां इस करार का विचार-विमर्थ किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है। जिसमें सीवेदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अनुष्छेष 26

सूचना का आदान-प्रवान

1. सिवदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज भी मामिल हैं) का अधान-प्रदान करेगे जो इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस करार के अंतर्गत आने हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान-व्यवस्था करार के प्रतिकृत नहीं हो ताकि विशेष रूप से ऐसे करों की धोखा- धड़ी अथवा अपवंचन रोका जा सके।

किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूजना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार की उस राज्य के आारिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की, गई सूजना मानी जाती है। लेकिन यदि सूजना भेजने वाले राज्य में उक्त सूजना को मूलतः गुप्त समझा जाता है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रणागिनक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने, उनक प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा

जनमें मंबधित अगीलों का निर्धारण करने में सम्बद्ध हों, जो इस करार के विषय है। ऐसे व्यक्ति अयथा प्राधिकारी उकत् मूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनीं के लिए करेंगे परन्तु व उक्त सूचना को मार्वजिनक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सभम प्राधिकारी विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शानी, पद्धतियों और तकतीकां को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा जिनमें, जहां कही उपयुक्त हो, कर परिहार के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

- 2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रवान या तो नेमी आधार पर अथवा मामलों-विशेष के मंदर्भ में अनुरोध करने पर अथवा धोनों स्थितियों में किया जा मकेगा। संविद्याकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर, ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची के बारे में सहमत होगे, जिसे एक नेमी आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- 3. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखिन दायित्व डालना नहीं होगा:
 - (क) उस अथवा दूसरे पंविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रणासनिक प्रथा से हटकर प्रणासनिक उपाय करना ;
 - (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्ताबेओं की सप्लाई करना जो उन अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत अथवा प्रणासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;
 - (ग) ऐसी स्वता अथवा दस्तावेशों की सप्लाई करना जिनमें कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्ञिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेर अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा ऐसी सूचना, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकृत है।

अनुच्छेद 27

राजनयिक और कीसुली कार्यकलाप

इस करार की किसी भी क्षात से राजनियक अथवा कौमुली अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के भ्रन्सर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त विसीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 28

प्रवर्त्तन -

दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य, इस करार को लागू करने के लिए अपनी विधि के अंतर्गत अपेक्षित कार्यविधियों के पुरा किए जाने के बारे में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा। यह करार इन अधिसूचनाओं में से बाद में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से लागू होगा और इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा:

- (क) भारत में, जिस कैंसेंडर वर्ष में बाद की अधि-यूचनाएं दी गई हों, उस कैंलेंडर वर्ष के अगले किसी भी परवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी भी पिछले वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;
- (खा) इंक्कोनेशिया में, जिस कैलेंडर वर्ष में बाद की अधिश्रचनाएं दी गई हों, उस कैलेंडर वर्ष के अगले किसी भी परवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी भी आय-वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में।

अनुच्छेव 29

समाप्ति

यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा मेकिन दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख़ से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात शुरू होने वाने किसी भी कैंलेंडर वर्ष में जून के तीसवें दिन को अथवा उससे पहले, राजनियक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को समाप्ति का लिखित रूप में नोटिस दे सकेगा और ऐसी स्थिति में यह करार निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा:

- (क) भारत में, जिस कैंलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस विया जाता है, उस कैंलेंडर वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी भी पिछले वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में;
- (ख) इंडोनेशिया में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाध्ति का नोटिस दिया जाता है, उस कैलेंडर वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष के जनवरी भास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात आरम्भ होने वाले किसी भी आय-वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य मे, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत ग्राधीहस्ता-क्षरियों ने पर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

जकारता में वर्ष एक हजार नी सौ सत्तामी के माह ग्रगस्त के मातवें दिन की, हिम्दी, बहाशा इन्डोनेशिया तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, जिनके सभी पाठ ममानतः प्रामाणिक हैं। श्रर्थ-निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा। ह .

₹.

विनोद खन्ना भारत गणराज्य की सरकार की ओर से रूसली नूर इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार की ओर से

प्रांतोकोल

श्राय पर करा के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्य श्रपयंचन की रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और इन्डोंनेशिया गणराज्य की सरकार उक्त करार पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित उपबन्ध्रों पर सहमत हो गई है, जो इस करार के श्रभिन्न अंग होंगें:

- 1. धनुष्छेव 7 के प्रयोजनार्थ, जहां कोई कम्पनी दोनों राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है और उसका दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई स्थायीं संस्थापन स्थित हैं, तो उस स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाले लाओं पर उस दूसरे राज्य में उसके कानून के अनुसार धितिरक्त कर लगाया जा मकेगा लेकिन यह अनिरिक्त कर ऐसे लाओं में मे उम दूसरे संविदाकारी राज्य में उन पर लगाए जाने वाले आयकर की तथा ध्राय पर अन्य करों की कटौती किए जाने के पश्चात् उक्त लाओं की बकाया राश्व के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 2. इन्डोनेशिया की सरकार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो भारत का निवासी है, तेल और गैस क्षेत्र अथवा अन्य खन्न उद्योग के लिए तय किए गए अथवा निष्पन्न किए गए उत्पादन में भागीदारी के किसी भी करार तथा कार्य के लिए करार (अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य करार) में निहित उपबंधों पर, उसकी लिखित, उसकी सम्बन्धित राजकीय तेल तथा गैस कम्पनी अथवा उसकी किसी अन्य सत्ता पर जनवरी, 1984 के प्रथम दिन से पूर्व पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 3. अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 के उपबन्ध किसी तीसरे देण में किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की शाखा को उद्भूत होने वाले ब्याज पर भी लागू होंगे।
- 4. प्रमुच्छेद 24 के उपबंधों के होते हुए भी, इस करार के उपबंधों का अर्थ प्रम प्रमा बाद में दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के अपवर्जन, छूट, कटौती, लाभ अथवा अन्य छूट पर निम्नलिखित द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना नहीं होगा:——
 - (क) दोनों राज्यों में से किसी भी सविदाकारी राज्यों के कानूनों द्वारा उस संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर के निर्धारण के मामले में, ग्रथवा
 - (ख) दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच प्राधिक प्रथवा सकनीकी सहयोग के लिए कराधान के सम्बन्ध में की गई किसी धन्य विशेष व्यवस्था के द्वारा।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत प्राधिकृत श्रधो-हस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

जकारता में वर्ष एक हजार नौ सौ सत्तासी के माह श्रगस्त के सातवें दिन को हिन्दी, बहाशा इण्डोनेशिया तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, जिसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं । ग्रर्थ-निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा ।

ह./- ह./-

तिनोद खन्ना रूसली नूर भारत गणराज्य की इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार की ओर से सरकार की ओर से

> [सं॰ 7774 फा. मं. 11/30/69-एफ टी डी] ह./-

> > पी०के० ग्रप्पाचु, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 4th February, 1988

NOTIFICATION INCOME-TAX

G.S.R. 77 (E):—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Indonesia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has entered into force on the 19th December, 1987 on the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required by their laws, as specified by Article 28 of the said agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXA-TION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOMF

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Indonesia,

DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

Personal Scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2.

Taxes Covered

- 1. The taxes to which this Agreement shall apply are:
 - (a) in Indja:
 - (i) the income tax including any surcharge thereon imposed under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964);

(hereinafter referred to as "Indian Tax").

- (b) in Indonesia:
- the income tax imposed under the Undangundang Pajak Penghasilan 1984 (Law No. 7 of 1983) and to the extent provided in such income tax law, the company tax imposed under the Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (State Gazette No. 819 of 1925 as lastly amended by Law No. 8 of 1970) and the tax imposed under the Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970 (Law No. 10 of 1970);

(hereinafter referred to as "Indonesian Tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notity each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3

General Definitions

- 1. In this Agreement, ur'ess the context otherwise requires:
 - (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and air space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereignty,

sovereign rights, other rights and jurisdiction accordaing to the Indian Law and in accordance with International Law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sca, 1982;

- (b) the term "Indonesia" comprises the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law, particularly the provisions of the United Nations Conventions on the Law of the Sea, 1982;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Indonesia as the context requires;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Indonesian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is pavable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (e) the term "person" includes an individual a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (i) the term "competent authority" means in the case of India. the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Indonesia, the Minister of Finance or his authorized representative;
- (j) the term "national" means any individual, possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State.
- 2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

ARTICLE 4

Resident

- 1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to textherein, by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.
- 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both. Contracting States, then his status shall be determined as follows:
 - (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relatious are closer (centre of vital interests);
 - (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
 - (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- 8. Where by reason of the provisions of paragraph? 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the contracting States shall settle the question by mutual agreement keeping in view its place of incorporation, place of effective management and other relevant factors.

ARTICLE 5

Permanent Establishment

- 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an 'enterprise is wholly or partly carried on.
- + 2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop;
 - (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
 - (g) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, but only where

such site, project or activity continues for a period of more than 183 days.

- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpopse of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
 - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of adverstising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.
- 4. Where a person (other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 7 apply) is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State in respect of any activities which that person fundertakes for the enterprise, if:
 - (a) that person has, and habitually exercises in the first-mentioned State, an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise; or
 - (b) that person maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods of merchandise belonging to the enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.
- 5. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it furnishes services, including consultancy services in that other Contracting State through employees or other personnel—other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 7 apply,—provided that activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than 91 days in any twelve month period.
- 6. An insurance enterprise of a Contracting State shall, except with regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in that other State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7.

- 7. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other state through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
- 8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

Income From Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property, including income from agriculture or forestry, situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

- 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law or the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
- 3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraphps 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment.

- 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
- 3. In determining the profits of a permanent estiblishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the perminent establishment to the head office of the enterprise of any of its other offices, by way of royalties, lees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management. or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment, for amounts charged (otherwise then in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise then towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise of any of its other offices, by way of 10values, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by wav of commission for specific services performed or lor management, or, except in the case of a banking enterprise by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.
- 4. In so far as it has been customary in a contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary, the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this article.
- 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merch undise for the enterprise.
- 6. For the purposes of the preceding paragraphs the profits to be attributed to the permarent estiblishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 7 Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this

Agreement, then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this article

ARTICLE 8

Shipping and Air Transport

- I Profits derived by an enterprise of a Contruing State from the operation of ships or anceatt in international triffic shall be taxable only in that State
- 2 The provisions of paragraph 1 of this article shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business or an international operating agency
- 9 For the purposes of this article, interest on funds connected with the operation of ships or aircialt in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircialt, and the provisions of aircide 11 shall not apply in relation to such interest.
- 1 The term "operation of ships or aircraft" shall mean business of transportation of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships or aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of ships or aircraft and any other activity directly connected with such transportation

ARTICLE 9

Associated Enterprises

- 1 Where '
 - (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
 - (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial of financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2 Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which

would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the agreement and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

ARTICLE 10

Dividends

- 1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividents may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed:
 - (a) 10 per cent of the gross amount of dividends if the beneficial owner is a company which owns at least twenty five per cent of the shares of the company paying the dividends;
 - (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

- 3. The term "dividends" as used in this article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply it the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment of fixed base. In such case, the provisions of article 7, or article 14, as the case may be, shall apply.
- 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so tar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other

State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

Interest

- 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
 - 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2:
 - (a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:
 - (1) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or
 - (ii) the Central Bank or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by the other Contracting State or political sub-division or local authority thereof.
 - (b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person (other than a person referred to in sub-paragraph (a)) who is a resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned Contracting State.
- 4. The term "interest" as used in this article means income from debt-claim of every kind (including interest on deferred payment sales), whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this article.
- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed

base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provision of article 7 of article 14, as the case may be, shall apply.

- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each. Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 12

Royalties

- 1. Royalties in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.
- 3. The term "toyalties" as used in this article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, my copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
- 4 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply it the beneficial owner of the rovalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or

fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 14, as the case may be, shall apply.

- 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the privisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13

Capital Gains

- 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2 Gains from the alternation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
- 3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident
- 4. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14.

Indepedent Personal Services

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services on other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:—
 - (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State;

OI

- (b) it his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 91 days in any twelve month period; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
- 2. The term "professional services" includes indepedent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15

Dependent Personal Services

- 1. Subject to the provisions of articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph I, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period, and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of

a Contracting State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 16

Directors' Fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors (by whatever name called) of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17

Entertainers and Athletes

- 1. Notwithstanding the provisions of atticks 11 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician or as an athelete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. While income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, nitwithstanding the provisions of articles 7, 11 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are excreised.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities—as such exercised in the other Contracting State, shall—be—taxable in the first-mentioned Contracting State if:
 - (a) the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities, or
 - (b) the activities in the other Contracting State are in pursuance of a special progarmme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States.
- 4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and articles 7, 14 and 15, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athelete in his capacity as such in a Contracting State accures not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State if:
 - (a) that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political sub-divisions or local authorities, or
 - (b) the activities are exercised by an individual, being a resident of the other. Contracting State, in pursuance of a special programme

for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States and that other person to whom income therehom accrues is a resident if the other Contracting State.

ARTICLE 18

Remuncration and Pensions in Respect of Government Service

- 1. Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State. However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:
 - (a) is a national of that State; or
 - (b) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
- 2. Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State. However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.
- 3. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

ARTICLE 19

Non-Government Pensions and Annuities

- I. Any pension, other than a pension referred to in article 18, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph I, pensions paid out of a pension fund approved by the Government of a Contracting State (or its authorised Agency) to a resident of the other Contracting State in consideration of past employment may be taxed in the first-mentioned State.
- 3. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.
- 4. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

ARTICLE 20

Students and Apprentices.

- 1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States—immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall—be—exempt from tax in that other State on:
 - (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
 - (b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding Rs. 20,000 or Rs. 2,000,000 during any two-live month period, as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.
- 2. The benefits of this article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarly required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this article for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

ARTICLE 21

Professors, Teachers and Research Scholars

- 1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.
- 2. This article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.
- 3. For the purposes of this article and article 20, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the year of income, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding year of income.
- 4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

ARTICLE 22

Other Income

I. Subject to the provisions of paragraph 2, atems of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt

with in the foregoing articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

- 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a tesident of a Contracting State, carries on business in the other contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is efficitively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 14, as the case may be, shall apply.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

ARTICLE 23

Elimination of Double Taxation

- 1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.
- 2. The amount of Indonesian tax payable, under the laws of Indonesia and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of profits or income arising in Indonesia, which have been subjected to tax both in India and in Indonesia, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Indian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in Indonesia. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India.
- 3. The term "Indonesian tax payable" shall be deemed to include the amount of Indonesian tax which would have been paid if the Indonesian tax had not been exempted or reduced in accordance with the special incentive measures under Article 33 of Law No. 7 of 1983 (Undang-undang Paiak Penghasilan 1984) which are designed to promote economic development in Indonesia, effective on the date of signature of this Agreement, or which may be introduced in the future in modification of, or in addition to, the existing provisions for promoting

economic development in Indonesia, and such other incentive measures which may be agreed upon from time to time by the Contracting States.

- 4. The amount of Indian tax payable under the laws of India and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of Indonesia, in respect of profits or income arising in India, which has been subjected to tax both in India and in Indonesia, shall be allowed as a credit against Indonesian tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Indonesian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in India.
- 5. The term "Indian tax payable" shall be deemed to include the amount of Indian tax which would have been paid if the Indian tax had not been exempted or reduced in accordance with the special incentive measures under the provisions of the Indian Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which are designed to promote economic development in India, effective on the date of signature of this Agreement, or which may be introduced in the future in modification of, or in addition to, the existing provitions for promoting economic development in India, and such other incentive measures which may be agreed upon from time to time by the Contracting States.

ARTICLE 24

Non-Discrimination

- 1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
- 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.
- 3. Nothing contained in this article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.
- 4. Enterprises of a Constructing State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of

the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to my taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentione! State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

ARTÍCLE 25

Mutual Agreement Procedure

- 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.
- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application if the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
- 1. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 26

Exchange of Information

- 1 The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of the State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involve in the assessment or collectin of the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial descisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.
- 2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.
- 3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the othe Contracting State;
 - (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 27

Diplomatic and Consular Activities.

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of displomats or cinsular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 28

Entry into Force

Each of the Contracting States shall notify to the other completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning or or after the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given;
- (b) in Indonesia, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

AR FIGLE 29

Termination

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtienth of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channals, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have of effect:

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice is given:
- (b) in Indonesia, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at Jakarta this Seventh day of August one thousand nine hundred and eighty seven in Hindi, Bahasa Indonesia and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of India

Sd|-

(VINOD C. KHANNA)

Ambassador of India

For the Government of the Republic of Indonesia

sd]-

(RUSLI NOOR)

Director General for Foreign Economic Relations.

Protocol

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Indonesia, having entered into an Agreement for the avoidence of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed, at the time of signing the said Agreement, on the following provisions which shall constitute an integral part thereof:

- 1. For purpose of article 7 where a company which is a resident of a Contracting State has a per narent establishment in the other Contracting State, the profits attributable to the permanent establishment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed 10% of the amount of such profits after deducting therefrom income tax and other taxes on income imposed thereon in that other Contracting State.
- 2. The provisions of paragraph 1 shall not affect the provisions contained in any production sharing contracts and contracts of work (or any other smilar contracts) relating to oil and gas sector or other mining sector negotiated and concluded by the Government of Indonesia, its instrumentality, its relevant state oil and gas company or any other entity thereof before the first day of January 1984, with a person—who is resident of India.
- 3. The provisions of paragraph 2 of article 11 shall also apply to interest arising to a branch of

a resident of a Contracting State in any Third Country.

- 4 Notwithstanding the provisions of article 24, the provisions of this Agreement shall not be construed to restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit, or other allowance now or hereafter accorded:
 - (a) by the laws of one of the Contracting States in the determination of the tax imposed by that Contracting State, or
 - (b) by any other special arrangement on taxation in connection with the economic or technical cooperation between the two Contracting States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at JAKARIA this Seventh day of August one thousand nine hundred and eighty seven in Hindi, Bahasa Indonesia and English

languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail

For the Government of the Republic of India

Sd

(VINOD C. KHANNA) For the Covernment of Ambassador of India the Republic of Indonesia

Sil -

(RUSLI NOOR)

Director General of Foreign Economic Relations

[No 7747]F No 11]30]69-I I D] P. K. APPACHOO JI. Secs.